कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22444/विविध/2019/ दिनांक : 11 .09.2019

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :– निरीक्षण के दौरान विद्यार्थी उपस्थिति की सुनिश्चितता बाबत्।

प्रसंग :– माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा ली गई समीक्षा बैठक दिनांक : 22.08.2019 का कार्यवाही विवरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं रहती है। अनुपस्थिति बाबत् शिक्षा विभागीय नियमावली– 1997 के नियम 5.3.10 में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी संस्था प्रधान द्वारा सतत् अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं कर परोक्ष रूप में अनुपस्थिति को बढावा दिया जाता है।

इस संबंध में जिला स्तर पर निरीक्षण दल गठित किए जाकर निम्न की सुनिश्चितता की जावे :–

01. प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय में नियमित उपस्थित हो तथा प्रत्येक कालांश में अध्ययन करें।
02. आवश्यकतानुसार प्रार्थना पत्र के आधार पर ही विद्यार्थी अवकाश स्वीकृत किया जावे।
03. बिना प्रार्थना पत्र के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 10 दिवस लगातार अनुपस्थित तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लगातार 15 दिवस से अधिक अनुपस्थित पर नाम उपस्थिति रजिस्टर से काट दिया जावे।
04. नाम पृथक करने से पूर्व संस्था प्रधान एवं कक्षाध्यापक विद्यार्थी के अभिभावक से संपर्क कर उपस्थिति हेतु पूर्ण प्रयास करें।
05. संस्था प्रधान प्रत्येक दिवस ऐसे अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की समीक्षा कक्षाध्यापक के साथ करें।
06. अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान विद्यार्थी उपस्थिति का सज्जगता से निरीक्षण करें। इस हेतु जिला स्तर पर दल बना कर आकस्मिक निरीक्षण भी कराए जावें।
07. जिला स्तर पर उपस्थिति निरीक्षण हेतु विद्यालय विजिट करने वाला निरीक्षण दल विद्यालय में वितरित होने वाले पोषाहार, दुग्ध एवं अन्य सामग्री के स्तर की जाँच कर सुनिश्चित करें।
08. प्रायः यह देखा जाता है कि विद्यार्थी सामान्यतः अंग्रेजी विषय के प्रति आशंकित रहते है। इस स्थिति को दूर करने के लिए संस्था प्रधान प्रार्थना सभा, बाल सभा आदि का उपयोग अंग्रेजी भाषा के सुधार हेतु करें। आवश्यकतानुसार विद्यालय समय के उपरान्त अंग्रेजी की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जावे।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/22444/विविध/2019/ दिनांक : 11 .09.2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
4. सहायक निदेशक (मॉनिटरिंग) मॉनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)